न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 81/2024
निर्णय दिनांक:– 28.03.2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामकरण पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक/सब रजिस्ट्रार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री नेतराम चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री दौलतराम चौधरी अधिवक्ता प्रति सं0 1

वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 28.03.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 231 के आराजी खसरा नं. 7861 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, खतौनी सं. 232 के आराजी खसरा नं. 7853 रकबा 2.8072 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक मौरूसी मुश्तका सम्पत्ति है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। विवादग्रस्त आराजी स्व. मौहरू की पुश्तैनी आराजी रही है, एवं स्व. रामचन्द्र के वारिसान में उनका पुत्र प्रतिवादी सं. 1 ग्यारसीलाल है एवं ग्यारसीलाल के पुत्र वादी रामकरण है जो जाईन्दा वारिस है, उपरोक्त वर्णित आराजी का मौके पर बाहमी बॅटवारा कर वादी एवं प्रतिवादीगण उपयोग – उपभोग हिस्सेनुसार करते आ रहे है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी वादी की मौरूशी मुश्तका सम्पत्ति है खतौनी सं. 231 में वादी प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से में से हिस्सा 1/16 हिस्से की भूमि व खतौनी सं. 231 में वादी प्रतिवादी सं. 1 के 1/4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

हिस्से में से हिस्सा 1/16 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक चले आ रहा है वादी का उक्त आराजी में जन्म से हक व हिस्सा नोशनल शेयर बाई बर्थ है और इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी 1 जो कि वादी का पिता लगता है वह बहुत ही शातिर व चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा भूमाफियों की गलत शौहबत में है जबकि वादी के पास उपरोक्त आराजीयात के अलावा परिवार के भरण – पोषण का अन्य कोई साधन नहीं है इसलिए वादी उपरोक्त आराजीयात को काश्त कर पैदा होंने वाली उपज से अपना पालन पोषण करता आ रहा है वादी के हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा वादी अपने हिस्से की आराजी पर आपसी सहमती से बाहमी बॅटवारा कर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विवादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के दांदा की खातेदारी आराजी रही है तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी का बाहमी बॅटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है तथा स्व. रामचन्द्र की मृत्यु पश्चात् उपरोक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई जबकि विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है तथा वादी के जन्म के साथ ही पिता की सम्पत्ति में कानूनी हक व हिस्सा बनता है इस कारण वादी अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा उपरोक्त आराजी में वादी का कानूनन जन्मजात हिस्सा निहित है जिसे पाने का वादी हकदार है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर रहा है व अपना व अपने परिवार का पालन पोषण उपरोक्त हिस्से की आराजी से करता आया है वादी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ व उन्नत बना लिया है जिससे वादी की आराजी पर भू माफिया गिरोह की नजर है तथा वादी के हिस्से की आराजी का बैचान कर वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमाद है। अभी हाल ही में दिनांक 14/10/2024 को वादी उक्त अपने हिस्से की आराजी को सम्भालने गया तो प्रतिवादी सख्या 1 अपने साथ 3–4 अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादी के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी पर आये व आते ही प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने से साफ इंकार किया व साथ

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

आये लोगो को बेचान करने की बात कही जिस पर वादी ने विवादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी होने का हवाला दिया तो प्रतिवादी सं. 1 ने ऐलानियां धमकी देते हुये साफ कहाँ कि उक्त आराजी मेरे नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसलिए मैने सम्पूर्ण आराजी का सौदा साथ आये लोगो को कर दिया है जो ऐनकेन प्रकारेण व लाठी के जोर पर तुम्हारें हिस्से की आराजी पर कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देगे तुम्हारा उक्त आराजी से अब कोई लेना देना नही है, इसलिए वादी को अपने कानूनी हितो की रक्षार्थ उक्त वाद पेश करना लाजमी आया। वाद कारण दिनांक 14/10/2024 को वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से काश्त करने से मना करने व लाठी के जोर से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न हुआ है, जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विवादित आराजी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है ।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री दौलतराम चौधरी उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।
5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी के खाता सं0 231, 232 मे प्रतिवादी सं0 1 के 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब व बहस मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की हैं। वाद पत्र मे वर्णित सिजरा खानदान अनुसार प्रतिवादी सं0 1 वादी का पिता है। जिसके अनुसार उक्त आराजी मे वादी का बाई बर्थ हिस्सा निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 231 के आराजी खसरा नं. 7861 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, खतौनी सं. 232 के आराजी खसरा नं. 7853 रकबा 2.8072 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे वादी को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। बैक का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी
जिला–जयपुर

28/3/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

रामकरण पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक/सब रजिस्ट्रार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 81/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री नेतराम चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी दौलतराम चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 231 के आराजी खसरा नं. 7861 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, खतौनी सं. 232 के आराजी खसरा नं. 7853 रकबा 2.8072 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादी को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। बैक का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/03/2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

28/03/25

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर